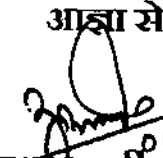


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ ११६० /2022 दिनांक: ०६.04.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/939/2022 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा श्रीमती रेखा शर्मा (R.J0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को दिनांक 19.03.2022 से 24.03.2022 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.03.2022 से 18.03.2022 व 26.03.2022 से 27.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 25.03.2022 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 19.03.2022 से 20.03.2022 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/02/2000/ 2667-

दिनांक : 06.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 07 दिनांक 16.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रेखा शर्मा (R.J0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार